[श्री रामावतार शास्त्री]

भेज कर भारत सरकार से गेहूं के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है।

बिहार को प्रत्येक माह में 40 हजार टन चीनी की आवश्यकता है, पर मिलती है केवल 27 हजार मैट्रिक टन। ऐसा खाद्य निगम की ढिलाई के कारण होता है। इतना ही नहीं ; खाद्य निगम द्वारा बिहार के लिए समय पर चीनी नहीं उठाने के कारण बिहार के कोटे की तमादी हो जाती है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता की खूब ढोल पीटती है। पर बिहार की स्थिति ने यह दिखला दिया है कि सरकारी ढोल में पोल ही पोल है। अतः कृषि मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वह पहले की तरह बिहार को मिलने वाले गेहूं की मिकदार को माहवारी एक लाख टन तो अवश्य ही कर दें। ऐसा कर के ही वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संकट को कुछ हद तक दूर कर सकते है, अन्यथा बिहार की जनता को भुखमरी से कोई नहीं बचा सकेगा। आशा है कि सरकार का ध्यान इस ओर फौरन आकृष्ट होगा।

(vii) NEED TO REDUCE AIR FARE BETWEEN AGARTALA AND CALCUTTA.

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West) : Mr. Deputy-Speaker Sir, I am drawing the attention of the House to the probelm of air link between Tripura and the rest of the country. Recently, the Central Government has enhanced the air fare from Agartala to Calcutta along with other parts of the country. Now the air fare between Agartala and Calcutta is Rs. 228/-

A few years back, the rate was only Rs. 84/- and, within a short time, the rate is increased so rapidly that it has become unbearable for the people of Tripura where 83 per cent of the population are living below the poverty line. Sir, you know that Tripura is situated in the remotest corner of the country and air link is the main means of transport with the rest of India. The people have to depend upon the air link to go outside of the State for medical treatment and other purposes and air travel is essential and not a luxury to the people of Tripura. The people of other parts of the country can avail of the railway and other modes of transport. But in the case of Tripura, these facilities are almost absent.

In veiw of the above, I urge the Government to reconsider the decision and exempt the recent increase in air fare for Tripura and North Eastern Region and introduce a cheaper service between Agartala and Calcutta as it existed previously.

I demand that the Minister concerned may make a statement in the House about the decision of the Government as early as possible.

(ix) STARTING OF MURADABAD, DELHI EXPRESS TRAIN FROM BAREILLY AT 6.00 A.M.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

मुरादाबाद से प्रातः लगभग 6 बजे दिल्ली को चलने वाली मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने की मांग बहुत समय से की जाती रही है। रात्रि के 1–40 बजे के पश्चात् बरेली से मुरादाबाद हो कर दिल्ली आने के लिए अगले दिन सांयकाल साढ़े सात बजे से पूव कोई ट्रेन नहीं है। अतः बरेली, बदायू पीलीभीत,

नैनीताल हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथोरागढ़ आदि के हजारों निवासियां को प्रात: काज की ट्रेन न होने से काफी असुविधा है और या तो तो उन्हें काफी समय बरबाद करना पड़ता है अथवा ट्रेन छूट जाने पर 17 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बरेली पर गोरखपुर व लखनऊ व नैनीताल की ओर से आने वाली छोटी लाइनें व लखनऊ व अलीगढ़ की ओर से आनेवाली बड़ी लाइनें मिलती हैं। बरेली न केवल रोहिलखंड कमिश्नरी का 5 लाख की आबादी का नगर केन्द्र ही है बल्कि बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र भी है। मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने के निमित लगभग एक वर्ष पूर्व लाखों रुपये व्यय करके वाशिंग ट्रैक बनाने की कार्यवाही भी रेल विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है किन्तु अभी तक इस ट्रेन को बरेली से चलाने की तिथि की घोषणा नहीं की गई है।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि सार्वजनिक हित में उपरोक्त मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने की अविलम्ब घोषणा करें जिस से जनता को राहत मिले।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : *

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will not go on record. I adjourn the House to meet again at 2.05 P.M.

13.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till five minutes past fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE INCOME-TAX (AMENDMENT) ORDINANCE AND INCOME-TAX (SECOND (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Statutory Resolution. Mr. Phool Chand Verma. We are taking up items 7 and 8 together. The time allotted for both the items is one and half hours.

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजाहापुर) : में प्रस्ताव करता हूं :

"(क) यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 जुलाई, 1981 को प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1981 (1981 का का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।

उपाध्यक्ष जी, आयकर संशोधन अध्यादेश जो माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर लाए है, उसके उद्देश्य को देखते हुए उसका स्वरुप अच्छा लगता है किन्तु यह सारा आयकर संशोधन अध्यादेश, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, उनके अनुमानों पर आधारित है।

जहां तक अनुमानों का सवाल है, मेरा इस मामले में निश्चित रूप से यह कहना है कि जो अध्यादेश की परिकल्पना करके माननीय मंत्री महोदय बिल के रूप में इसको यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको पास भी कराना चाहते हैं वह अनुमानों पर अधारित है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अध्यादेश

*Not recorded.